(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :– 30/2021
दायर दिनांक :– 12.07.2021
निर्णय दिनांक :– 23.01.2023

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2. रामकरण पुत्र रामप्रसाद जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द तह0 व जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेशचन्द पुत्र भगवान सहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द तह0 व जिला दौसा।
2. रामजीलाल पुत्र मूलचन्द जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द तह0 व जिला दौसा।
3. सूरजा पत्नि भगवान सहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी दौसा खुर्द तह0 व जिला दौसा।
4. श्रीमती शान्ति पुत्री मूलचन्द पत्नि गोपाल लाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 30/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर किया गया है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 394 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 है0 स्थित दौसा खुर्द तहसील दौसा के 1/5 हिस्से का खातेदार प्रार्थी संख्या 1 रामप्रसाद व 1/5 हिस्से का खातेदार स्व0 भगवती देवी जिसका निधन दिनांक 14.01.2017 को हो गया है, के जरिये वसीयत मालिक प्रार्थी संख्या 2 है तथा 1/10 हिस्से का मालिक व खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 रमेशचन्द व 1/5 हिस्से का खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 रामजीलाल व 1/10 हिस्से की खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 सूरजा देवी व 1/5 हिस्से की खातेदार अप्रार्थी संख्या 4 शान्ति देवी है, जो कि जमाबन्दी की सत्यप्रतिलिपि से प्रमाणित है। जिसे आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जावेगा। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका आज दिन तक बाई मीट्स एण्ड ... विभाजन नहीं हुआ है। आपसी मनबट के आधार पर उक्त आराजी को ... अपने हिस्सेनुसार काश्तकार लाभान्वित होते चले आ रहे है। उक्त आराजी राजकीय ... खसरा नम्बर 504 से लगती हुई है, जो कि घनी आबादी क्षेत्र की भूमि है ... उक्त आराजी के चारों तरफ घनी आबादी ... है तथा हम सह–खातेदारान के मध्य भी अब आपसी मनमुटाव के कारण उक्त आराजी पर संयुक्त

लगातार ....2....

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

रूप से अपने–अपने हिस्सेनुसार काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। प्रार्थीगण को दिनांक 04.04.2021 को अप्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाने से इंकार करने व प्रार्थीगण के हिस्से कब्जे काश्त में अनुचित दखल देने से उत्पन्न हुए वाद कारण से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस प्रमाणित है। सुविधा की तुला एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थीगण को गम्भीर अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को वाद के अन्तिम निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि प्रश्नगत आराजी में वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त एवं आपसी मनबट से प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी के प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल देने हस्तक्षेप करने से स्वयं अपने परिवारजन, रिश्तेदार, एजेण्ट, नौकर आदि सहित अस्थाई रूप से प्रतिबन्धित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 की ओर से बावजूद तामील अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में उल्लेखित बातों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला :–</u> पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 0.0400 है0 व खसरा नंबर 394 रकबा 0.2000 है0 भगोती पुत्री मूलचन्द हिस्सा 1/5, रमेश चन्द पुत्र भगवानसहाय हिस्सा 1/10, रामजीलाल पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/5, रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/5, शान्ति पुत्री मूलचन्द हिस्सा 1/5, सुरजा देवी पत्नि भगवानसहाय हिस्सा 1/10 दर्ज रिकार्ड है। चूँकि प्रश्नगत भूमि रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/5 दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के पक्ष में साबित होता है।

   प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद द्वारा उसके पक्ष में की गई अपंजीकृत वसीयत पेश की गई है, किन्तु खातेदारी अधिकार उद्घोषित करने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। अतः प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नहीं होता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन :–</u> प्रश्नगत भूमि प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के पक्ष में साबित होता है, जिससे असुविधा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के पक्ष में साबित होता है। किन्तु प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद द्वारा उक्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

लगातार ....3....

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gaur
Date: 2023.03.01 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

है, जिसमें उसका नाम खातेदार के रूप में अंकित हो। प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के पक्ष मे प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नही होता है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के पक्ष मे साबित नहीं होता है।

3. अपूर्णीय क्षतिः— प्रश्नगत भूमि प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के पक्ष में साबित है। जिससे प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होती है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के पक्ष में साबित है। चूँकि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के नाम दर्ज रिकार्ड नही है। प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के पक्ष में साबित नहीं है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के पक्ष में साबित नहीं होता है।

प्रश्नगत भूमि प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के पक्ष में साबित है। किन्तु प्रश्नगत भूमि प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद द्वारा उसके पक्ष में की गई अपंजीकृत वसीयत पेश की गई है, किन्तु खातेदारी अधिकार उद्घोषित करने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी रामकरण पुत्र रामप्रसाद के पक्ष में साबित नहीं है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 को वाद के निस्तारण तक इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 392 व खसरा नंबर 394 में प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द के हिस्से तक उसके कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल व हस्तक्षेप नहीं करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested